

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद, जिला बारां राज0
पीठासीन अधिकारी :- राहुल कुमार मल्होत्रा (आर.ए.एस.)
राजस्व अपील संख्या 11/22 दायरा दिनांक 15.07.2022

योगेशकुमार पुत्र सूरजभान उम्र 30 वर्ष जाति अहीर निवासी जोनायचा कलां तहसील बहरोड जिला अलवर (राज.)

- अपीलान्त

बनाम

1. ग्राम पंचायत नाटई जर्जे सरपंच ग्राम पंचायत नाटई तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शाहावाद जिला बारां राजस्थान

- रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरुद्ध निर्णय ग्राम पंचायत नाटई दिनांक 05.11.2007 नामान्तरकरण संख्या 895 ग्राम अजरोडा तहसील शाहाबाद बारां राजस्थान

निर्णय-दिनांक 18.08.2022

उपस्थित- अपीलान्टस की ओर से-श्री वीरेन्द्र अग्रवाल एडवोकेट
रेस्पों. की ओर से - एकपक्षीय

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलान्त ने दिनांक 04.01.2007 को ग्राम अजरोडा की आराजी खसरा नंबर 75 रकबा 0.17 बीघा, खसरा नंबर 195 रकबा 2.03 बीघा, खसरा नंबर 196 रकबा 2.05 बीघा, खसरा नंबर 227 रकबा 2.18 बीघा खसरा नंबर 230 रकबा 1.14 बीघा, खसरा नंबर 256 रकबा 1.03 बीघा, खसरा नंबर 263 रकबा 0.11 बीघा, खसरा नंबर 264 रकबा 1.09 बीघा, खसरा नंबर 275 रकबा 1.15 बीघा, खसरा नंबर 276 रकबा 0.13 बीघा, खसरा नंबर 279 रकबा 1.12 बीघा, खसरा नंबर 284 रकबा 0.17 बीघा, खसरा नंबर 287 रकबा 3.10 बीघा, खसरा नंबर 290 रकबा 1.10 बीघा, खसरा नंबर 305 रकबा 2.00 बीघा, खसरा नंबर 308 रकबा 0.14 बीघा, खसरा नंबर 328 रकबा 0.14 बीघा, खसरा नंबर 277 रकबा 0.07 बीघा, खसरा नंबर 316 रकबा 4.03 बीघा कित्ता 19 रकबा 31.19 बीघा के खातेदार अशोककुमार, देवव्रत पुत्रगण मोखमसिंह से जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र हिस्सा 1/4 कय कर कब्जा प्राप्त किया है, इसी विक्रयपत्र के आधार पर सम्माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश है। प्रश्नगत नामान्तरकरण में अपीलान्ट व अपीलान्ट के पिता का नाम विक्रयपत्र में दर्ज नाम से विपरीत योगेन्द्रकुमार पुत्र सूरजमल दर्ज कर दिया गया है, जबकि अपीलान्ट का सही नाम योगेशकुमार पुत्र सूरजभान जाति अहीर निवासी जोनायचा कलां तहसील बहरोड जिला अलवर राज0 है और यही नाम विक्रयपत्र दिनांक 04.01.2007 में

दर्ज है। इस तथ्य को सम्माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नगत नामान्तरकरण तस्दीक करते वक्त अपने संज्ञान में नहीं लिया और प्रश्नगत नामान्तरकरण अपीलान्त व अपीलान्त के पिता का अशुद्ध नाम दर्ज कर तस्दीक कर दिया गया, जो विधि विरुद्ध होकर नाम की हद तक निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर ग्राम अजरोंडा तहसील शाहाबाद के नामान्तरकरण संख्या 895 पर पारित आदेश अपीलान्त व अपीलान्त के पिता के नाम की हद तक निरस्त फरमाया जाकर प्रश्नगत नामान्तरकरण में अपीलान्त का नाम योगेशकुमार पुत्र सूरजभान जाति अहीर निवासी जोनायचा कलां तहसील बहरोड जिला अलवर राज0 के नाम से खोला जाकर तस्दीक किये जाने बावत आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंटस की तलबी की गई। रेस्पों के विरुद्ध बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अधिवक्ता अपीलान्त की एकपक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

अपीलान्त ने ग्राम पंचायत नाटई द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.11.2007 बावत नामान्तरकरण संख्या 895 ग्राम अजरोंडा तहसील शाहाबाद को इस आधार पर चुनौती दी है कि उक्त नामान्तरकरण ग्राम अजरोंडा तहसील शाहाबाद स्थित आराजी खसरा नंबर 75 रकबा 0.17 बीघा, खसरा नंबर 195 रकबा 2.03 बीघा, खसरा नंबर 196 रकबा 2.05 बीघा, खसरा नंबर 227 रकबा 2.18 बीघा खसरा नंबर 230 रकबा 1.14 बीघा, खसरा नंबर 256 रकबा 1.03 बीघा, खसरा नंबर 263 रकबा 15.00 बीघा, खसरा नंबर 264 रकबा 1.09 बीघा, खसरा नंबर 275 रकबा 1.15 बीघा, खसरा नंबर 276 रकबा 0.13 बीघा, खसरा नंबर 279 रकबा 1.12 बीघा, खसरा नंबर 284 रकबा 0.17 बीघा, खसरा नंबर 287 रकबा 3.10 बीघा, खसरा नंबर 290 रकबा 1.10 बीघा, खसरा नंबर 305 रकबा 2.00 बीघा, खसरा नंबर 308 रकबा 0.14 बीघा, खसरा नंबर 328 रकबा 0.14 बीघा, खसरा नंबर 277 रकबा 0.07 बीघा, खसरा नंबर 316 रकबा 4.03 बीघा कित्ता 19 रकबा 31.19 बीघा के हिस्सा 1/4 के पंजीकृत विक्रयपत्र दिनांक 04.01.2007 के विपरीत खोल तस्दीक किया गया है। अपीलान्त ने अपने इस कथन के समर्थन में विक्रयपत्र दिनांक 04.01.2007 की फोटो प्रति पेश की है, जिसमें अपीलान्त का नाम योगेशकुमार पुत्र सूरजभान जाति अहीर निवासी जोनायचा कलां तहसील बहरोड जिला अलवर राज0 दर्ज है, इसके विपरीत संलग्न प्रमाणित प्रति नामान्तरकरण नंबर 895 में योगेन्द्रकुमार पुत्र सूरजमल दर्ज किया गया है और इसी आधार पर वर्तमान जमाबन्दी में भी नाम का गलत इन्द्राज किया गया है। इस प्रकार प्रश्नगत नामान्तरकरण में अपीलान्त तथा अपीलान्त के पिता का नाम

विक्रयपत्र के विपरीत दर्ज होना पाया जाता है, जिसे दुरुस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर प्रश्नगत नामान्तरकण नम्बर 895 ग्राम अजरोंडा तहसील शाहावाद दिनांक 05.11.2007 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण तहसीलदार शाहावाद को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि विक्रयपत्र दिनांक 04.01.2007 में दर्ज अपीलान्ट/क्रेता के नाम के अनुरूप पुनः नामान्तरकण दर्ज किया जावे। पालनार्थ तहसीलदार शाहावाद को निर्णय की प्रति प्रेषित की जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 18.08.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। प्रकरण पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफ़तर हो।


उपखण्ड अधिकारी
शाहावाद